राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, जयपुर

(प्लॉट नं. 6 एवेरस्ट कॉलोनी लाल कोठी जयपुर)

क्रमांकः पैरामेडि.कौं / 2018 / 830 दिनांकः–24-04-18

–: निविदा सूचनाः–

वित्त विभाग द्वारा निर्धारित दर एवं शर्तो के अनुसार राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल में 05 कम्प्यूटर मय ऑपरेटर (मैन विद मशीन) वर्ष 2018–19 के लिये अनुबंध पर लेने हेतु इच्छुक एजेंसी से निविदा हैण्ड कोटेशन प्रति कम्प्यूटर प्रिंटर मय ऑपरेटर की अधिकतम भुगतान दर के संबंध में सादा कागज पर आमंत्रित किये जाते है।

इच्छुक ऐजेन्सियों द्वारा वैयक्तिय विवरण (बायोडेटा) नाम, पिता का नाम, शैक्षणिक योग्यता तथा कार्य का अनुभव के साथ निविदा की शर्ते जो कार्यालय की वैबसाइट से प्राप्त की जा सकती है, को स्वीकारोक्ति स्वरूप हस्ताक्षर कर अपने आवेदन–पत्र के साथ संलग्न करना होगा। शैक्षणिक योग्यता व अनुभव के समर्थन के संबंधित प्रमाण–पत्रों की प्रमाणित प्रति संलग्न की जावेगी, जो कि बंद लिफाफे में प्रस्तुत करना होगा।

किसी भी निविदा को बिना कोई कारण बताये निरस्त करने का अधिकार अधोहस्ताक्षरकर्ता, राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल के पास सुरक्षित रहेगा। इस सूचना के अधीन दरें कार्यालय राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल को दिनांक 02.05.2018 को अपरान्ह 1.00 बजे तक प्राप्त हो जाने चाहिए इसके उपरांत किसी निविदा पर कोई विचार नहीं किया जायेगा। उक्त निविदा को दिनांक 02.05.2018 को अपरान्ह 2.00 बजे गठित कमेटी द्वारा निविदा दाताओं की उपस्थिति में खोला जावेगा।

संलग्नः– निविदा शर्ते।

रजिस्ट्रार

क्रमांकःपैरामेडि.कौं / 2018 / 830 दिनांकः24-04-18

प्रतिलिपिः– निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित हैः–

1. नोटिस बोर्ड राजस्थान पैरा मेडिकल कौंसिल, प्लॉट नं. 06, ऐवरेस्ट कॉलोनी, लाल कोठी, जयपुर।
2. प्रभारी, सर्वर रूम को भेजकर लेख है कि उक्त सूचना को आज ही RPMC की वेबसाईट पर अपलोड करावे।
3. रक्षित पत्रावली।

रजिस्ट्रार

निविदा की शर्ते

जिस निविदादाता की निविदा स्वीकार की जावेगी उसे लिखित अनुबंध करना होगा एवं निर्धारित अवधि के भीतर कम्प्यूटर स्थापित करना होगा। अनुबंध की शर्ते निम्न प्रकार होगी :–

1. अनुबंध प्रारम्भ में 6 माह की अवधि के लिये होगा एवं संतोषप्रद कार्य करने पर उसे बढ़ाया जाएगा।
2. कम्प्यूटर स्पेशिकेशन : –

   Computer : - Intel Core 13/ Equivalent AMD based Computer or higher Speed, RAM 2@4 GB or Higher, Hard Disk 250 GB or more, 15" Monitor/TFT or bigger 10/100/1000 Mbps LAN Card, CD/DVD writer Standard keyboard, Optical Mouse, Standard Serial, Parallel & USB ports Windows 7 or higher, Anti Virus, Preinstalled MS Office. Responsibility of software license will be borne by the contractor.

   Printer :- Black and white laser printer with speed 15 ppm or more For Specific need. Dot matrix/inject printer may be taken in lieu of laser printer.

   UPS :- Online/offline UPS for above computer and printer with 30 minutes battery backup.
3. स्थापित किये जाने वाले सभी उपकरण निविदा में वर्णित स्तर के अनुरूप होने चाहिए। कम्प्यूटर की स्थापना के बाद उनका निरिक्षण कर यह सुनिश्चित किया जाएगा कि कम्प्यूटर सिस्टम अनुमोदित स्पेशिकेशन के अनुरूप है। जहां सिस्टम विहित स्पेशिकेशन के स्तर में अनुरूप नहीं पाया जायेगा उसे अनुरूप कराया जाएगा।
4. उपकरण स्थापित करने के लिए स्थान एवं बिजली फिटिंग की व्यवस्था संबंधित विभाग करेंगे। संबंधित विभाग यह सुविधा भी प्रदान करेंगे कि कार्यालय बंद होने के बाद उपकरण ताले में रखे जा सके।
5. विभाग की किसी भी सूचना का अन्य व्यक्ति का अपने स्तर से आदान प्रदान नहीं करेगा, यदि ऐसा पाया गया तो उसके विरूद्ध अनुबंध तोड़ने के लिए न्यायिक कार्यवाही भी की जा सकेगी।
6. कम्प्यूटर पर किये गये कार्य अधिकारी के आदेशो के बिना डिलिट नहीं करेगा। सेव रखेगा।
7. विभाग के किसी सॉफ्टवेयर को यदि कम्प्यूटर में लोड किया जावे तो कोई आपत्ति नहीं करेगें।
8. निविदाकार को दिन प्रतिदिन कार्यालय समय अथवा कार्यालय समय के बाद आवश्यकता अनुसार कम्प्यूटर सेवायें जारी रखनी होगी। प्रिन्टर में प्रयुक्त होने वाले नया टोनर/नया रिबन प्रथम बार निविदादाता द्वारा दिया जायंगा, तत्पश्चात विभाग द्वारा वहन किया जायेगा।

9. किसी भी माह में चार कार्य दिवस से अअधिक कम्प्यूटर बंद नही रखा जावेगा। यह भी पूर्व में सूचना देकर किया जा सकेगा। इससे अधिक समय तक कम्प्यूटर बंद रहने पर चाहे वह ऑपरेटर की गैर हाजरी के कारण या किसी खराबी के कारण हो तो देय राशि में से प्रतिदिन 300/– रूपये की कटौति की जायेगी।

10. विशेष परिस्थितियों में संबंधित विभाग इस चार दिन की अवधि को बढ़ा सकते है जिसके लिये उसे लिखित में कारण अंकित करेने होगें एवं यदि बढ़ी हुई अवधि में कोई आवश्यक कार्य होगा तो वह निविदादाता को अन्यत्र स्वयं के खर्चे कर करवा कर देना होगा।

11. कम्प्यूटर सिस्टम को सही तरिके से कार्यरत स्थिति में संधारित रखने की पूर्ण जिम्मेंदारी निविदादाता की, होगी। इसके लिये किसी प्रकार का कोई अतिरिक्त भुगतान नही किया जावेगा। यदि मरम्मत आदि की आवश्यकता होती है तो लिखित में सूचना देकर उचित समय में मरम्म्त करने की जिम्मेदारी निविदाकार की होगी। यदि मरम्मत में अधिक समय लगने कह संभावना होगी तो निविदादाता को तब तक अन्य उपकरण लगाने की व्यवस्था करनी होगी।

12. यदि कम्प्यूटर सिस्टम संबंधित विभाग की संतुष्टि के अनुसार कार्य नही करता है तो निविदादाता को लिखित में सूचना देकर ठीक कराने हेतु कहा जायेगा। निर्धारित अवधि में उसे ठीक नहीं कराने पर पन्द्रह दिन का नोटिस देकर संविदा निरस्त किया जा सकेगा।

13. यदि उपकरणो की चोरी या किसी अन्य प्रकार का नुकसान होता है तो उसकी जिम्मेदारी संबंधित विभाग की नहीं होगी। अतः यदि निविदाकार चाहे तो उपकरणो का बीमा करवा सकता है।

14. कम्प्यूटर सेवाओ के लिये किसी भी प्रकार का अग्रिम का भुगतान नही किया जावेगा।

15. भुगतान मासिक तौर पर महिना समाप्ति के बाद संतोषप्रद रूप से कार्य किये जाने पर चैक/डी.डी. से किया जायेगा तथा वसूलियां यदि कोई हो तो उन्हें प्रभावित किया जावेगा।

16. समस्त विधिक कार्यवाही, यदि संस्थित किया जाना आवश्यक हो तो किसी प्रकार पक्षकार (संबंधित विभाग व ठेकेदार) द्वारा राजस्थान में स्थित न्यायालयों में ही पेश की जाएगी, अन्य स्थान पर पेश नहीं की जाएगी।

मैं उक्त शर्तो से सहमत हूँ तथा इन शर्तो को मानने के लिए बाध्य हूँ।

प्रा॰ ____________